

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स:- 0141-2742309, ई मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-एफ.4(ई)(आर-565 / 2023) / अलेसे-III / 859

दिनांक:- 01/07/25

“कार्यालय आदेश”

नव चयनित कनिष्ठ लेखाकार को उनके आवेदन के आधार पर निम्नांकित पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	कनिष्ठ लेखाकार सर्वश्री	पाठ्यक्रम का नाम एवं सत्र	आयोजक संस्था	पदस्थापन कार्यालय
1.	रजत कुमार (रोल नं. 775735)	एम.ए. प्रीवियस (भूगोल) 2024 (स्वयंपाठी)	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, बाड़मेर

उक्त अध्ययन स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अध्वधीन होगी:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
2. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग-अलग स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी।
3. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
4. उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
5. अध्ययन जारी रखने की स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और इस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. अध्ययन जारी रखने से दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा / व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
7. प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

8
29

बृजेश किशोर शर्मा
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-एफ.4(ई)(आर-565 / 2023) / अलेसे-III / 859

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक:- 01/07/25

1. प्राधानाचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, बाड़मेर।
2. श्री रजत कुमार, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय प्राधानाचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, बाड़मेर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित नवचयनित कनिष्ठ लेखाकार।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)